सं0-22/2016/804/62-2-2016-14एम0आई0/97टीसी-।।।ए

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजनान्तर्गत (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) के गहरे नलकूपों, डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना/सामान्य व एस0सी0पी) के सामूहिक नलकूपों एवं जिला योजना में विघुतीकरण की बचत की धनराशि से की जाने वाली गहरी बोरिंगों पर जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु आई0एस0 कोड-14151(पार्ट-2/2008) के अन्तर्गत सहज संजोयी पालीएथिलीन पाइप 110 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लास-1) मय आवश्यक फिटिंग्स के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-22/ल0सिं0/भ0आ0/ डी0वी0-एच0डी0पी0ई0-110/2015-16, दिनांक 01-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0 पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुति दे दी गयी है, वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजनान्तर्गत (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) के गहरे नलकूपों, डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना/सामान्य व एस0सी0एस0पी) के सामूहिक नलकूपों एवं जिला योजना में विघुतीकरण की बचत की धनराशि से की जाने वाली गहरी बोरिंगों पर जल वितरण प्रणाली की सथापना हेतु 110 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लास-1) मय आवश्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फिटिंग्स आई0एस0 कोड-14151 (पार्ट-2/2008) सहज संजोयी पालीएथिलीन पाइप एवं फिटिंग्स सेट की, मैसर्स तिजारिया पालीपाइप्स, लि0 जयपुर (राजस्थान) से प्राप्त आईटमवार दरों के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

S.No.	Description of Item	Required Qty. under available Budget	Basic Rate Ex-works (Rs.)	Average freight anywhere in U.P. at their Central District Store (Rs.)	F.O.R. destination rates excluding VAT etc. (Rs.) (4)+(5)
1	2	3	4	5	6
.-	ISI Marked 110mm Nominal diameter, 0.25 MPA (Class-I) Quick Coupled Polyethylene Pipe (HDPE Pipe) in length of 6.0 meter (± 0.01 meter) IS Code 14151(Part-2):2008 with latest amendments.	70,320 Meter	130.70 Per Meter	8.00 Per Meter	138.70 Per Meter
?-	One Set of ISI Marked fittings (one number 90^0 Bend, one number 90^0 Tee, one number Ends cap and one number pump connecting nipple) suitable to fit with above pipe IS Code 14151(Part-2):2008 with latest amendments,	518 Set	800.00 Per Set	25.00 Per Set	825.00 Per Set

नोट -:कालम 6-में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त VAT ETC. तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- <u>शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त पाइप का नियमानुसार भुगतान संबंधित योजना में उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(3) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

(4) उघोग विभाग के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0) /92, दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाइप का क्रय, सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाइप उघोग निदेशालय, कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(5) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के वाल्यूम-5, भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है, क्रय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(6) जो भी मात्रा या आकंलन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के द्वारा प्रेषित किया गया है उसके आकंलन का उत्तरदायित्व भी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगें कि किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक क्रय न किया जाय।

(7) प्रस्तावित पाइप की मात्रा निविदित सीमा के अन्तर्गत है और निविदा की शर्तो के अनुसार है।

(8) जो भी क्रय किया जाय वह स्वीकृत धनराशि के सपेक्ष किया जाय। मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई द्वारा जो बचत सूचित किया गया है, उसके आकंलन के संबंध में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई ही उत्तरदायी होगें।

3- उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-22/2016/804(1)/62-2-2016,तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उघम अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in